भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 3340**

उत्तर देने की तारीख 21 मार्च, 2023

30 फाल्गुन, 1944 (शक)

## युवा एथलीटों की सुरक्षा

**3340. श्री मितेष पटेल (बकाभाई):**
**श्री रमेश बिन्द :**
**श्रीमती शारदा अनिल पटेलः**

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस विचार से सहमत है कि खेल शासी निकायों को युवा एथलीटों को उनकी सुरक्षा के बारे में सलाह देने और नशीली दवाओं के दुरुपयोग सहित विभिन्न प्रकार के दुरुपयोग की रिपोर्टिंग और निवारण के लिए प्रभावी चैनल सुनिश्चित करने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा की गई/प्रस्तावित पहलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

**युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री**
**(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)**

(क) जी हां । भारत सरकार खेल विधाओं के निष्पक्ष प्रशासन में एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में नैतिक आचरण पर जोर देती है और एथलीटों, एथलीट सहायक कर्मियों, कोचों, रेफरियों, अधिकारियों, खेल विज्ञान और चिकित्सा कर्मियों, स्वयंसेवकों, प्रबंधकों, प्रशासकों, समिति के सदस्यों, माता-पिता या अभिभावकों तथा संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एनएसएफ) के पदाधिकारियों सहित खेलों में भाग लेने वाले सभी हितधारकों के लिए उत्पीड़न और भेदभाव से मुक्त सुरक्षित वातावरण मुहैया कराती है ।

इसके अलावा, सरकार खिलाड़ियों द्वारा डोपिंग/ मादक दवाओं के सेवन को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है । इसके लिए, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त संगठन राष्ट्रीय डोप रोधी एजेंसी (नाडा) युवा एथलीटों सहित सभी हितधारकों के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) तथा विभिन्न राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एनएसएफ) के सहयोग से डोप रोधी शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करती है ।

(ख) और (ग): इस संबंध में सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलों का विवरण निम्नानुसार है :

(i) भारत सरकार विभिन्न खेल विधाओं के विकास के लिए मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल परिसंघों को वित्त पोषित और सहायता करती है। प्रत्येक राष्ट्रीय खेल परिसंघ द्वारा विभिन्न शैक्षिक और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और इन्हें प्रशिक्षण और प्रतियोगिता (एसीटीसी) के वार्षिक कैलेंडर में शामिल किया जाता है।

(ii) नाडा ने एथलीटों और एथलीट सहायक कर्मियों के लिए डोप रोधी नियमों और दिशानिर्देशों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए एक डोप रोधी हेल्पलाइन (1800-119-919) शुरू की है । नाडा एथलीटों और अन्य लोगों के लिए डोप रोधी नियमों के उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए 'स्पीक अप!' पोर्टल भी संचालित करता है।

(iii) राष्ट्रीय खेल परिसंघों के सहयोग से नाडा द्वारा आवश्यकता आधारित जागरूकता-सह-शिक्षा सामग्री तैयार की गई है। नाडा ने एथलीटों के लिए डोप रोधी नियमों और डोपिंग के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए बड़े पैमाने पर जागरूकता कार्यक्रम शुरू किए हैं । 2022 में नाडा द्वारा कुल 119 ऐसे डोप रोधी जागरूकता और शिक्षा सत्र/कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

(iv) नाडा नियमित रूप से विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में पैम्फलेट के रूप में विश्व डोप रोधी एजेंसी (वाडा) द्वारा घोषित विभिन्न प्रतिबंधित पदार्थों के बारे में जानकारी जारी करता है।

(v) साई ने खेल भावना और उचित नैतिक आचरण के बुनियादी मूल्यों के अनुरूप उचित व्यवहार के बारे में जागरूकता बढ़ाकर खेल में सुरक्षित और सकारात्मक वातावरण सुनिश्चित करने के लिए औपचारिक निर्देश जारी किए हैं।

****